

29/8/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण मथ अधिवक्ता
उपास्थित नहीं। वकील उरते वादी उपर वादीगण
व उनके अधिवक्ता को वार-2 विधिवत
आवाज लगाने पर अन्वयालय में उपास्थित
नहीं होने से वादीगण का वाद अदम हाजरी व
अदम पौकी में खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा